

राजस्थान विधान सभा
तृतीय सत्र
कार्य-सूची
बुधवार, दिनांक 15 जुलाई, 2009
बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(अ) अधिसूचनायें

कृषि विभाग

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर, कृषि विपणन राज्यमंत्री कृषि विपणन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

- 1- अधिसूचना संख्या : एफ.15(24)कृषि/गुप-2/85 दिनांक 24.10.2007 जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी (मण्डी समिति कर्मचारी) सेवा नियम, 1975 में संशोधन किया गया है ;
- 2- अधिसूचना संख्या : एफ.15(24)कृषि/गुप-2/85 दिनांक 28.5.2008 जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी (मण्डी समिति कर्मचारी) सेवा नियम, 1975 में संशोधन किया गया है ;
- 3- अधिसूचना संख्या : एफ.4(34)कृषि/गुप-2/2003 दिनांक 04.7.2008 जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियम, 1963 में संशोधन किया गया है ;
- 4- अधिसूचना संख्या : एफ.15(24)कृषि/गुप-2/85 दिनांक 24.9.2008 जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी (मण्डी समिति कर्मचारी) सेवा नियम, 1975 में संशोधन किया गया है ; एवं
- 5- अधिसूचना संख्या : एफ.15(24)कृषि/गुप-2/85-पार्ट दिनांक 12.6.2009 जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी (मण्डी समिति कर्मचारी) सेवा नियम, 1975 में संशोधन किया गया है ;

(ब) वार्षिक प्रतिवेदन

ऊर्जा विभाग

डॉ० जितेन्द्र सिंह, ऊर्जा मंत्री कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए के अन्तर्गत राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का 13वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008 सदन की मेज पर रखेंगे ।

3. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2009--2010 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगी :-

1. महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, वर्ष 1995-96 के प्रथम प्रतिवेदन, वर्ष 1997-98 के तृतीय एवं चतुर्थ प्रतिवेदन (दसवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2009-2010 का प्रथम प्रतिवेदन ;
2. महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, वर्ष 2001-2002 के तृतीय एवं चतुर्थ प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2009-2010 का द्वितीय प्रतिवेदन ; एवं
3. महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, वर्ष 2000-2001 से वर्ष 2008-2009 तक राज्य में महिला सदन, घाट की गुणी, जयपुर के आकस्मिक निरीक्षण संबंधी कार्यवाही विषयक महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2009- 2010 का तृतीय प्रतिवेदन ।

4. याचिकाओं का उपस्थापन

(1) श्री रामनारायण मीणा, सदस्य विधान सभा ग्राम चन्दवाड़ तथा आकोडिया में क्षतिग्रस्त एनिकटों का पुनर्निर्माण करवाये जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

(2) श्री बाबूसिंह राठौड़, सदस्य विधान सभा निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे :-

- I- शेरगढ़ तहसील के ग्राम पंचायत शेरगढ़ के राजकीय संस्कृत उपाध्याय विद्यालय को क्रमोन्नत करने बाबत् ; एवं
- II- शेरगढ़ तहसील मुख्यालय पर ग्राम पंचायत बालेसर सत्ता में राजकीय महाविद्यालय खोलने बाबत् ।

(3) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य विधान सभा निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगी :-

- I- निर्वाचन क्षेत्र सूरसागर के राजकीय औषधालय को क्रमोन्नत करने बाबत् ;
- II- निर्वाचन क्षेत्र सूरसागर के गोमा देवी राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, , कालीबेरी को क्रमोन्नत करने बाबत् ; एवं
- III- निर्वाचन क्षेत्र सूरसागर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय, आसोप की पोल, भट्टी की बावड़ी, चौपासनी को भूमि एवं भवन उपलब्ध कराने बाबत् ;

5. विधायी कार्य

पुरःस्थापित किया जाने वाला विधेयक

राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2009

- (I) मास्टर भंवरलाल मेघवाल, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान विवाहों का अनिवार्य
रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2009
(2009 का विधेयक संख्या-16)

"राजस्थान राज्य में विवाह के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण और उससे संसक्त और उससे आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।

6. परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2009-2010

प्रथम अवस्था

सामान्य वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर

राज्य के परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2009-2010 पर अग्रेत्तर सामान्य वाद-विवाद होगा एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर दिया जाएगा ।

एच.आर. कुडी
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 14 जुलाई, 2009